न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 26 / 2023 (राजसमन्द डिक्री)

भानसिंह पिता खेतसिंह जी रावत, निवासी काटीचौडा, बिच्छुदडा, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीम, जिला राजसमन्द (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0
काश्त॰अधि॰ 1955 विरूद्ध निर्णय
उपखण्ड अधिकारी, भीम दिनांक
06.10.2021 प्रकरण सं. 72/2019

———/———

उपस्थित :– 1– श्री संजय बोहरा अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री पैरोकार सरकार

———::———

निर्णय **दिनांक 12–06–2025**

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा बिच्छूदडा, तहसील भीम में बिलानाम आराजी नंबर 2273 स्थित है। उक्त भूमि के 3 बीघा पर वादी का कब्जा अपने पूर्वजों के समय से निरन्तर चला आ रहा है, किन्तु प्रतिवादी कब्जा हटाने की धमकी देते हैं। अतः वादी को विवादित आराजी के 3 बीघा भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

2. अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर अपने निर्णय दिनांक 06–10–2021 को वादी का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट / वादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 04–10–2023 को प्रस्तुत की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.07.04 14:50:47 IST
Reason: SelfAttested

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट सरकार की आरे से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए, जबकि अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री संजय बोहरा उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लोक अदालत का कोई नोटिस जारी नहीं किया गया एवं अपीलान्ट को बिना सुने एकपक्षीय निर्णय पारित किया गया है। जानकारी दिनांक से अपील प्रस्तुत कर दी गयी है। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

5. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

6. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने गुणावगुण पर बहस करते हुए बताया कि धारा 91 के नोटिसों से अपीलान्ट का पुराना कब्जा साबित है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादी को सूचना दिये बिना प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर निर्णय पारित कर दिया, जिससे अपीलान्ट/वादी को अपना पक्ष रखने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे तथा गुणावगुण पर निर्णय करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें आर.आर.टी. 2018 (1) पेज 582, आर.आर.टी. 2018 (2) पेज 864, आर.आर.टी. 2022–23 (Supp.) पेज 360 प्रस्तुत की।

7. विद्वान पैरोकार सरकार ने बताया कि विवादित भूमि बिना सरकार दर्ज है। वादी ने प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी चाही है जो वर्तमान

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.07.04 14:30:47 IST
Reason: SelfAttested

कानून अनुसार देय नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय ने वादी का वाद खारिज किया है, जो विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे।

8. हमने उक्त पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया तथा प्रस्तुत न्यायिक नजीरों का अवलोकन किया। जमाबन्दी एवं स्वयं अपीलान्ट/वादी के कथनानुसार विवादित आराजी बिलानाम सरकार दर्ज है तथा नवीनतम न्यायिक नजीरों अनुसार प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी देय नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने हालांकि प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखकर एकपक्षीय निर्णय पारित किया है, किन्तु धारा 91 के नोटिस के आधार पर वादी को अतिक्रमी मानते हुए बिलानाम भूमि की खातेदारी देय नहीं होने के आधार पर अपीलान्ट/वादी का वाद खारिज किया है, जो प्रथम दृष्टया विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। इस संबंध में जो न्यायिक नजीरें अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गयी हैं, उनका हमने अध्ययन किया, किन्तु उक्त न्यायिक नजीरों के तथ्य वर्तमान प्रकरण से भिन्न होने के कारण चस्पा नहीं होते हैं।

9. अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय 06–10–2021 यथावत रखा जाता है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 12–06–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.07.04 14:30:47 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.** .....

भानसिंह पिता खेतसिंह रावत बनाम राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीम
निवासी काटीचौडा, बिच्छुदडा, जिला राजसमन्द
तहसील भीम, जिला राजसमन्द

अपील नं.....**26 / 2023**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....भीम..... मुकाम.....मुवर्खे.....**.....06**.....माह.....**10**.....**.....2021**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**12.**....माह.....06**.....**सन् **2025** रूबरू.....**पक्षकारान**
व हाजरी.....**श्री संजय बोहरा .....**मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री पैरोकार सरकार**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.... **अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय 06–10–2021 यथावत रखा जाता है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**12....**.....माह.....**...06**.....**2025**
को जारी किया गया।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.07.04 14:30:47 IST
Reason: SelfAttested